

कार्यालय – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक मान्यता टी०सी०/५५७७-१८ / 2021-22 दिनांक २८/१/२०२२

प्रबन्धक,

अध्ययन ग्लोबल स्कूल

काकड़ा रावली-सुराना रोड,

मुरादनगर गाजियाबाद।

कृपया आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 30-11-2021 का संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विद्यालय का नाम परिवर्तन करने तथा विद्यालय का संचालन वर्तमान ट्रस्ट के द्वारा करने का अनुरोध किया गया है। प्रबन्ध समिति द्वारा नवीन नाम परिवर्तन सम्बन्धी वॉचिट सभी अभिलेख उपलब्ध कराये हैं।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति दिनांक 27-1-2022 के आधार पर प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार विद्यालय को कक्षा- नर्सरी से कक्षा 08 (अंग्रेजी- माध्यम) तक की स्थायी मान्यता कार्यालय के पत्र सं०मान्यता/ 1051-53/ 2017-18 दिनांक 02-5-2017 द्वारा प्रदान की गई है। प्रबन्ध समिति द्वारा विद्यालय का नाम परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

विद्यालय परिवर्तित नाम – विध्यापन ग्लोबल स्कूल, काकड़ा रावली –सुराना रोड मुरादनगर गाजियाबाद। विद्यालय को भविष्य में भी मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ब्रजभूषण चौधरी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ० सं० मान्यता-टी०सी०/ / 2021-22 तद्रदिनांक
प्रतिलिपि- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

अंग्रेजी माध्यम

मान्यता कोड संख्या— जे०टी०टी०-०३

प्रेषक,

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रेष्य,

प्रबन्धक,
अध्ययन ग्लोबल स्कूल
काकडा, रावली-सुराना रोड मुरादनगर, गाजियाबाद

पत्रांक/मान्यता/ १०८१-८३

/2017-18/ दिनांक— ०२/५/२०१७

विषय :— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 26.08.2016 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्यर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं अध्ययन ग्लोबल स्कूल काकडा, रावली-सुराना रोड मुरादनगर, गाजियाबाद को तारीख 01.04.2017 से तारीख 31.03.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नवरी से कक्षा 8 तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 18.04.2017 की कार्यवाही में व्यक्त सहमति के आधार पर अनंतिम मान्यता प्रदान करने की सस्तूचना देता हूँ।
उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांचंद 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांचंद 2) के उपबंधों को पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नवरी कक्षा में), तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - i. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
 - iii. प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - iv. प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकृत किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकृत न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

- vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
- viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजि नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चाएँ के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-
 विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल—7177 कुल निर्भित क्षेत्र—933 कीड़ा—स्थल का क्षेत्रफल—है
 कक्षाओं की संख्या—10 कक्ष प्राधानाध्ययपक कक्ष—1 सह—कार्यालय—1 सह—भांडागार के लिए कक्ष—01
 बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय—04 पेयजल सुविधा—है
 मिड—डे मील पकाने के लिए रसोई—01 बाधा रहित पहुंच
 अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर, अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक जे0टी0टी0—03 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्याकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. छात्र/छात्राओं के बैठने हेतु प्रति छात्र 9 वर्ग फीट का स्थान सुरक्षित करते हुए कक्षों की माप के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित की जाए।
19. विद्यालय में अर्ह व टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अध्यापकों की नियुक्ति की जाए साथ ही आरक्षण का पालन किया जाए।
20. प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधिकानों के दृष्टिगत औपचारिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

भवदीय

 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 गाजियाबाद।

पृ०सं०/मान्यता/
 प्रतिलिपि—निम्नांकित अधिकारियों को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी मुरादनगर गाजियाबाद।
3. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 गाजियाबाद।